

धौंडस (छत्तीसगढ़ ऑनलाइन सूचना से नागरिक संशोधनकरण)

इलेक्ट्रॉनिक आवेदन दिनांक/Electronic Application Date 02/08/2017
चौहाली रोपा केन्द्र/Choice Lok Seva Kendra

आवेदन संख्या/Application Reference No. 0704011726007378
स्थान/सेवा केन्द्र
विहिन सामार मुद्रा /Net Amount: Rs 5.00/-



नवायाकरण अनुबिधानीय अधिकारी, अनुबिधान मुंगेली, (छत्तीसगढ़)
राष्ट्रीय सामाजिक प्रास्तिक घटना यथा
(अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति के लिए)

आवेदन संख्या/Application No. 0704011726007378

राजिस्ट्रीमन्त्र प्रबाल 2017-25-015240

प्रमाणित जिन्होंने जाति है कि यहां पर रोपा कुर्चि नियमों कुर्चि नियमों के अनुसूचित जनजाति के अनुसूचित 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के गढ़वाल में अनुसूचित जनजाति के रूप में विविहित विद्या गया है और यह जनजाति जनजाति अनुसूचित जनजाति (संशोधन) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ की रूची में अनुकूलान्तर 14 पर अंकित है। अतः यहां पर रोपा कुर्चि नियमों कुर्चि नियमों के अनुसूचित जाति का सदृश्य है।

It is hereby certified that Mr/Mrs/Ms RAKESH ROSHAN KURRE Father DHANSAY KURRE resident of SILLI village Tehsil Mungell District: Mungell belongs to Schedule Caste and according to article 341 such caste is included in connection with the state of Chhattisgarh as Satnami and such caste is mentioned on the serial number 14 of schedule 3 under section 19 of Madhya Pradesh Reorganization Act 2000. Therefore, Mr/Mrs/Ms RAKESH ROSHAN KURRE Father DHANSAY KURRE belongs to Schedule Caste.

2. This certificate is issued under the provisions that in case the District Level certificates verification committee or High Power Certification Scrutiny Committee during its inquiry /inspection finds the claim submitted by Mr/Mrs/Ms RAKESH ROSHAN KURRE is false or fraudulent, the certificate shall be deemed to be cancelled with immediate effect and notwithstanding contained anything under any other law for the time being in force, action shall be initiated under section 8-13 of the Chhattisgarh Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes (Regulation of social status certification) Act, 2013.

अनुमोदन दिनांक: 20/08/2017

डिजिटल हस्ताक्षरित

तुम्हीन जनजाति

अनुबिधानीय अधिकारी

इस धौंडस पर यहां पर रोपा कुर्चि नियमों के अनुसूचित जनजाति सामान इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति पर की मुद्रित प्रतिलिपि है जिसे सूचना इलेक्ट्रॉनिक अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्यिक नियम (इलेक्ट्रॉनिक अधिनियम) दियम, 2002 के द्वारा संस्थापित कराया गया है।

This Certificate is printed copy of electronic certificate which is recognise as per Chhattisgarh Citizen Service (Electronic Governance) Rule 2002 under the Information Technology Act 2000.

इस इलेक्ट्रॉनिक प्राप्ति पर यह जनजाति के अधिकारी के लिये इलेक्ट्रॉनिक संकेतन के अधिकारी अनुसूचित होने का सत्यागत में द्वारा दिया गया है तथा इस पर मुद्रित जनजाति उक्त इलेक्ट्रॉनिक अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति विधा वर्ग में निहित है।

The Electronic Certificate is authenticated with the digital signature of Competent Authority. This has been verified by me and the information printed on Certificate is contained in the above mentioned Electronic Certificate.

आवेदन संख्या/Application Number का अधिकारी कर इस बनाना पर की देखा जाना जानकारी edistrict.cgstate.gov.in में अथवा QR Code Scanning से पान की जा सकती है।

On citing Application Reference Number, validity related details of the Certificate can be obtained at website edistrict.cgstate.gov.in or from QR code Scanning.

यदि इस प्राप्ति पर कोई विवादी विविधारी आवाय विवेदिय द्वारा दायर करते से दोषात्मक विवाद नियमों के अनुसूचित जनजाति से अभियान अनुमति 0771-2533360 पर देनी चाहीं।

In case of dispute of the Certificate by any Officer or Office, inform the nearest CHOICE Center/Lok Seva Kendra or Complain through telephone number 0771-2533360.